SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

समाज में बढ़ती विलंब–विवाह की प्रवृत्ति
(कस्बा सांईखेड़ा जिला नरसिंहपुर के विशेष संदर्भ में)

लक्ष्मीकान्त नेमा, (Ph.D.), समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय सांईखेड़ा, सांईखेड़ा जिला–नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author

लक्ष्मीकान्त नेमा, (Ph.D.), समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय सांईखेड़ा, सांईखेड़ा
जिला–नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 04/02/2022
Revised on : -----
Accepted on : 11/02/2022
Plagiarism : 00% on 04/02/2022

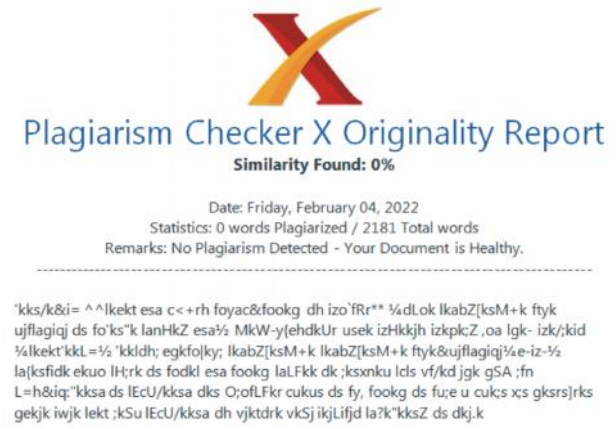
Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 0%

Date: Friday, February 04, 2022
Statistics: 0 words Plagiarized / 2181 Total words
Remarks: No Plagiarism Detected - Your Document is Healthy.

'kks/k&i= ^^lkekt esa c<+rh foyac&fookg dh izo`fRr** ¼dLok lkabZ[ksM+k ftyk ujflagiqj ds fo'ks"k lanHkZ esa½ MkW-y{ehdkUr usek izHkkjh izkpk;Z ,oa lgk- izk/;kid ¼lkekt'kkL=½ 'kkldh; egkfo|ky; lkabZ[ksM+k lkabZ[ksM+k ftyk&ujflagiqj¼e-iz-½ la{ksfidk ekuo lH;rk ds fodkl esa fookg laLFkk dk ;ksxnku lcls vf/kd jgk gSA ;fn L=h&iq:"kksa ds lEcU/kksa dks O;ofLFkr cukus ds fy, fookg ds fu;e u cuk;s x;s gksrs]rks gekjk iwjk lekt ;kSu lEcU/kksa dh vjktdrk vkSj ikjLifjd la?k"kksZ ds dkj.k

शोध सार

मानव सभ्यता के विकास में विवाह संस्था का योगदान सबसे अधिक रहा है। यदि स्त्री–पुरूषों के सम्बन्धों को व्यवस्थित बनाने के लिए विवाह के नियम न बनाये गये होते, तो हमारा पूरा समाज यौन सम्बन्धों की अराजकता और पारस्परिक संघर्षो के कारण विघटित हो गया होता। अतः विवाह वह संस्था है जो स्त्री पुरूषों के यौन संबंधो का नियमन ही नही करती अपितु यह परिवारिक एवं सामाजिक जीवन में प्रवेश के साथ–साथ बच्चों का लालन पालन एवं सामाजिक निरंतरता को सामाजिक मूल्यों के सापेक्ष बनाये रखने में महत्वपूर्ण है। 'विशेष विवाह अधिनियम 1954 को आधार माना है जिसके अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु लड़के के लिए 21 वर्ष एवं लड़की के लिए 18 वर्ष घोषित की गई है। इस अध्ययन के सम्बंध में पुरूषों में 21–25 वर्ष की आयु को विवाह की सामान्य आयु माना गया है। सामान्यता 25 वर्ष तक लड़का अर्थोपार्जन एवं परिवारिक उत्तरदायित्वो को वहन करने हेतु परिपक्व हो जाता है। 25 वर्ष से अधिक आयु के वे युवा जो विवाह करना चाहते है परन्तु किन्ही कारणों से वह अविवाहित है, उनके भावी विवाह को मैने बिलंव विवाह माना है।

मुख्य शब्द

विलम्ब विवाह, स्त्री–पुरूष, परिवार, लिविंग रिलेशनशिप, न्यूनतम एवं अधिकतम आयु.

प्रस्तावना

मानव सभ्यता के विकास में विवाह संस्था का योगदान सबसे अधिक रहा है। यदि स्त्री–पुरूषों के सम्बन्धों को व्यवस्थित बनाने के लिए विवाह के नियम न बनाये गये होते,तो हमारा पूरा समाज यौन सम्बन्धों की अराजकता और पारस्परिक संघर्षो के कारण विघटित हो गया होता।

विवाह के नियम ही यह निर्धारित करते है कि किस व्यक्ति का किससे विवाह हो सकता है,विवाह सम्बन्धों की स्थापना किन रीतियों के द्वारा की जायेगी तथा विवाह से सम्बन्धित स्त्री–पुरूष के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे? विवाह सम्बन्धी नियम ही विवाह से सम्बन्धित दोनों पक्षों को अपनी जैविकीय, मनोवैज्ञानिक,सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का अवसर देते है। विवाह ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैध बनाती है तथा उनके समुचित भरण–पोषण और सामाजिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है

विवाह को परिभाषित करते हुये वैस्टमार्क ने लिखा है। ''विवाह एक या अधिक पुरूषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनो पक्षों एवं उनके उत्पन्न बच्चों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश होता है।'' ''विवाह की जड़े परिवार में हैं ना कि परिवार की विवाह में।''

वोगार्डस के अनुसार ''विवाह स्त्री और पुरूषों के परिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है''

अतः विवाह वह संस्था है जो स्त्री पुरूषों के यौन संबंधो का नियमन ही नही करती अपितु यह परिवारिक एवं सामाजिक जीवन में प्रवेश के साथ–साथ बच्चों का लालन–पालन एवं सामाजिक निरंतरता को सामाजिक मूल्यों के सापेक्ष बनाये रखने में महत्वपूर्ण है।

पारंपरिक रूप में विवाह दो विषम लैंगिकों के बीच सामाज द्वारा स्वीकृत अपेक्षाकृत एक स्थाई व्यवस्था है जो इन्हे एक सूत्र में बाधंती है, पर आधुनिक समाज में विवाह के इस पारंपरिक दृष्टिकोण को युवाओं द्वारा स्वीकार किये जाने में झिझक होने लगी है। वे अब अविवाहित रहते हुऐ भी विवाहित के रूप में साथ–साथ रहने में विश्वास करने लगे है। सह–जीवन (लिविंग रिलेशनशिप) की प्रवृत्ति भारत के महानगरों में तेजी से बढ़ रही है, जो विवाह परिवार नातेदारी जैसी संस्थाओं के लिए एक चुनौती है। विवाह के महत्व और स्वरूप में आय परिवर्तनो में एक है विंलब विवाह की प्रवृत्ति। विंलब विवाह क्या है?, युवाओं में इसकी प्रवत्ति क्यों बढ रही है? आदि को इस शोध पत्र के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया हैं।

विवाह करने की आयु और विलंब–विवाह

विवाह प्रथमतः स्त्री और पुरूष की यौन इच्छा की पूर्ति हेतु समाज द्वारा स्वीकृति है। प्राकृतिक रूप से युवा अवस्था प्राप्त करने पर लड़का एवं लड़की की यौन इच्छाएँ जाग्रत होने लगती है। अतः समाज, प्रथा, कानून आदि विवाह के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण करते है। यह अलग बात है कि विवाह करने की न्यूनतम आयु का निर्धारण करने का आधार अलग–अलग हो सकता है। भारत में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा विवाह के संबंध में लड़के की आयु 21 वर्ष एंव लड़की की आयु 18 वर्ष को विवाह करने की आयु घोषित की गई है। विवाह की आयु निर्धारण के संबंध में यदि हम प्राचीन भारतीय समाज की आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करते है तो स्पष्ट होता है। कि प्राचीन समय में विवाह करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित थी।

विवाह की परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि विवाह मात्र यौन इच्छाओं की पूर्ति का साधन ही नहीं है अपितु विवाह से पारिवारिक सामाजिक, आर्थिक एवं बच्चों के लालन–पालन की जिम्मेंदारिया जुड़ी होती है जिनके निर्वहन की योग्यता प्राप्त करना भी लड़के एंव लड़की के लिए समाज आवश्यक मानता है। तेजी से बदलते सामाजिक परिदृश्य, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, धन व शिक्षा का बढ़ता महत्व युवाओं में बढ़ती महत्वाकांक्षाऐं एवं परिवर्तित सामाजिक मूल्यो ने विलंब विवाह की प्रवृति को जन्म दिया है। विलम्ब विवाह किसे कहेगे इसे सामाजिक मूल्यों के सापेक्ष समीक्षा की जाये या जैवकीय आधार पर समीक्षा जायें अथवा किस उम्र में होने वाले विवाह को विलम्ब विवाह कहेंगें, इसका वैधानिक रूप से निर्धारण कोई कानून नहीं करता है।

अतः अपने अध्ययन के लिए मैनें 'विशेष विवाह अधिनियम 1954 को आधार माना है, जिसके अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु लड़के के लिए 21 वर्ष एवं लड़की के लिए 18 वर्ष घोषित की गई है। इस अध्ययन के सम्बंध में पुरूषों में 21–25 वर्ष की आयु को विवाह की सामान्य आयु माना गया है। सामान्यता 25 वर्ष तक लड़का

अर्थोपार्जन एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वो को वहन करने हेतु परिपक्व हो जाता है। 25 वर्ष से अधिक आयु के वे युवा जो विवाह करना चाहते है परन्तु किन्ही कारणों से वह अविवाहित है, उनके भावी विवाह को मैने विलंब विवाह माना है।

शोध के उदेश्य

1 युवाओं के दृष्टिकोण में विवाह की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु को जानना।
2 युवाओं के विलंब विवाह के कारणों को जानना।
3 विवाह संस्था की अनिवार्यता को जानना।
4 युवाओं के दृष्टिकोण में विवाह के महत्व को जानना।

अध्ययन पद्धति

शोध अध्ययन के लिए साक्षात्कार एवं अनुसूची के उपयोग द्वारा समंकों का एकत्रीकरण किया है, इसके लिए कस्बा साईंखेड़ा नगर पंचायत के कुल 15 वार्डो मे से शिक्षित (स्नातक) 50 ऐसे उत्तरदाताओं को शोध अध्ययन में सम्मिलित किया है जो 25 वर्ष या इससे अधिक आयु के अविवाहित हैं।

उपकल्पना

युवा अवस्था प्राप्त सभी युवा विवाह करना चाहते हैं। वर्तमान समय में युवा अपने विवाह से अधिक अपनी शिक्षा एवं रोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं।

अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का विवरण एवं विश्लेषण

उत्तरदाताओं की आयुः शोध अध्ययन में सम्मिलित अविवाहित उत्तरदाताओं की आयु को तालिका क्रमांक 01 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 01

आयु वर्ग (वर्षो में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
25–28	16	32 प्रतिशत
28–31	10	20 प्रतिशत
31–35	15	30 प्रतिशत
35 से अधिक	9	18 प्रतिशत
कुल	**50**	**100 प्रतिशत**

(स्त्रोत : प्राथमिक समंक)

अध्ययन समूह में चयनित कुल 50 उत्तरदाताओं मे से 25–28 आयु वर्ग के 32 प्रतिशत, 28–31 आयु वर्ग के 20 प्रतिशत, 31–35 आयु वर्ग के 30 प्रतिशत, उत्तरदाता शामिल है एवं 18 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता है जो 35 वर्ष से अधिक उम्र के है। अतः तथ्यों से ज्ञात होता है कि विंलब विवाह के लिए निर्धारित 25 वर्ष आयु सीमा से अधिक आयु सीमा के उत्तरदाता भी शोध में शामिल है।

विवाह की न्यूनतम एवं अधिकतम आयुः शोध अध्ययन में सम्मलित उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण में विवाह करने की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु क्या हो इस संबंध में विस्तृत विवरण तालिका क्रमांक 02 मे अंकित है।

तालिका क्रमांक 02

विवाह की न्यूतम एवं अधिकतम आयु (वर्षो में)	विवाह की न्यूनतम आयु		विवाह की अधिकतम आयु	
	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
21–25	17	34	6	12
25–30	28	56	24	40
30–35	5	10	20	48
योग	**50**	**100**	**50**	**100**

(स्त्रोत : प्राथमिक समंक)

शोध अध्ययन में शामिल कुल 50 उत्तरदाताओं से जब ये जाना गया कि विवाह की न्युनतम एवं अधिकतम आयु के संबंध मे इनके क्या मत है, तो तालिका क्रमांक 02 से स्पष्ट होता है कि 21–25 आयु वर्ग के 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसे विवाह की न्यूनतम आयु माना, तथा 12 प्रतिशत उत्तरदाता इस आयु को विवाह की अधिकतम आयु मानते है। 25–30 आयु वर्ग को विवाह की न्यूनतम आयु सर्वाधिक 56 प्रतिशत उत्तरदाता एवं इसी आयु वर्ग को 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विवाह की अधिकतम आयु माना है, जबकि 5 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता भी है जो 35–35 वर्ष आयु समूह को विवाह को न्यूनतम आयु मानते है, जबकि उत्तरदाताओं का एक बड़ा वर्ग सर्वाधिक 48 प्रतिशत 30–35 आयु वर्ग समूह को विवाह की अधिकतम आयु मानता है। अतः स्पष्ट है कि युवाओं में अपने विवाह को लेकर उत्साह में कमी है

विवाह संस्था की अनिवार्यता को जानना

शोध कार्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वर्तमान में विवाह जैसी महत्वपूर्ण संस्था को अपनी अनिर्वायता को हेतु चुनौतियो का सामना करना पड़ रहा है। विवाह व्यक्ति के लिए अनिवार्य है अथवा नहीं, इसका विस्तृत विवरण तालिका क्रमांक 03 मे अंकित है।

तालिका क्रमांक 03

जीवन में विवाह की अनिवार्यता है		जीवन में विवाह की अनिवार्यता नहीं है	
उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
43	86	7	14

(स्त्रोत : प्राथमिक समंक)

तालिका क्रमांक 3 से स्पष्ट होता है कि मानव जीवन में विवाह की अनिवार्यता बनी हुई है। 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस बात को स्वीकार किया है या मानते है कि व्यक्ति के जीवन में विवाह अनिवार्य है, वहीं विवाह संस्था की अनिवार्यता को 14 प्रतिशत उत्तरदाताओ ने अस्वीकार किया। यह संकेत देता है कि वर्तमान में यह विवाह संस्था की अनिवार्यता को चुनौती देने वाला तथ्य कहा जा सकता है।

विलंब विवाह के कारण

शोध अध्ययन में चयनित उत्तरदाताओं के अभी तक विवाह न होने के कारणो को जानने का प्रयास किया। विवाह न होने के कारणो को तालिका क्रमांक 04 में स्पष्ट किया गया है।

तालिका क्रमांक 04: अभी तक विवाह न होने का कारण

कारण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
आत्मनिर्भर न होना	21	042
परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति	09	018
योग्य जीवन साथी न मिलना	14	028
विवाह के लिए परिवार के सदस्यों का ध्यान न देना	03	006
बडे भाई बहनो का विवाह न होना	03	006
योग	**50**	**100**

(स्त्रोत : प्राथमिक समंक)

तालिका क्रमांक 04 मे वर्णित अभी तक विवाह न होने का कारण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 42 प्रतिशत उत्तरदाता आत्मनिर्भर न होने को अपने विवाह न होने का कारण मानते है। 18 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति को अपने विवाह न होने का कारण मानते है। 28 प्रतिशत उत्तरदाता योग्य जीवन साथी न मिलने को एवं 6 प्रतिशत उत्तरदाता विवाह के लिए परिवार के अन्य सदस्यो का विवाह के लिए ध्यान न देना अपने विलंब विवाह का कारण मानते है। 6 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे भी है जिनके अभी बड़े भाई–बहनों के विवाह न होने के कारण को अपने विलंब विवाह का कारण मानते है। उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी एवं आर्थिक स्थिति वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है। वर्तमान में युवा विवाह से अधिक आत्मनिर्भर होने को महत्व दे रहा है।

विवाह के महत्व को जानना

शोध अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं के दृष्टिकोंण में विवाह का क्या महत्व हैं एवं वो स्वयं विवाह क्यों करना चाहते हैं, इसका विवरण तालिका क्रमांक 05 में स्पष्ट किया गया है।

तालिका क्रमांक 05: विवाह के महत्व को जानना

महत्व	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1. श्रम विभाजन एवं आर्थिक सहयोग	05	10
2. यौन इन्छाओं की पूर्ति हेतु	13	26
3. पारिवारिक एवं सामाजिक सुख के लिए	32	64
योग	**50**	**100**

(स्त्रोत : प्राथमिक समंक)

अध्ययन समूह में सम्मिलित कुल 50 उत्तरदाताओं में से 10 प्रतिशत यह मानना हैं कि विवाह श्रम विभाजन एवं आर्थिक सहयोग के लिए आवश्यक हैं। 26 प्रतिशत उत्तरदाता विवाह को यौन इच्छाओं की पूर्ति के साधन के रूप में देखते हैं। सर्वाधिक 64 प्रतिशत उत्तरदाता पारिवारिक एवं सामाजिक सुख के लिए विवाह को महत्वपूर्ण मानते हैं।

निष्कर्ष

√ बदलते सामाजिक परिवेश के कारण कई पहलुओं पर युवा परंपरागत सोच को त्याग कर सुविधायुक्त जीवन यापन की तरफ बढ रहे है। इस अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है, युवा विवाह से अधिक अपने आत्मनिर्भर होने के प्रति अधिक गंभीर है। यद्यपि युवा विवाह करना चाहते है तथापि विवाह उनके लिए अति महत्वपूर्ण कार्य नहीं है

√ अध्ययन में 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विवाह को जीवन में अनिवार्य तत्व माना है, अतः वर्तमान में भी विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था बनी हुई है। 14 प्रतिशत उत्तरदाता विवाह की अनिवार्यता के पक्ष में नहीं है जो यह दर्शाता है कि विवाह की द्वितीयक संस्था सह जीवन आदि का चलन समाज में बढ़ रहा है।

√ 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विवाह के लिए न्यूनतम आयु 25–30 वर्ष मानना यह दर्शाता हैं कि समाज में विवाह की आयु को यौन संबध स्थापित करने की क्षमता की दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता अपितु सामाजिक, आर्थिक, परिपक्वता की दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन की क्षमता जब युवक प्राप्त कर लेता है तब विवाह करना या होना उचित समझा जाने लगा है।

√ परिवार की आार्थिक स्थिति वैवाहिक स्थिति को प्रभावित करती है। परिवार की उच्च आर्थिक स्थिति होने पर भी युवाओं का व्यक्तिगत आय अर्जित करना विवाह के लिये आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. रावत, हरिकृष्ण (2006) *उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोष,* रावत पब्लिकेशंस जयपुर, पेज नं. 283।
2. दोषी, एस.एल, जैन पी.सी. (2013) *समाजशास्त्र–नई दिशायें,* नेशनल पब्लिकेशन हाऊस जयपुर पेज नं. 402।
3. गुप्ता, प्रो. एम.एल. शर्मा डॉ. डी.डी. (2010) *समाजशास्त्र,* साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा, पेज नं. 287।
4. आहूजा, राम (2005) *भारतीय समाज,* रावत पब्लिकेशंस जयपुर, पेज नं. 109।

****